


GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, THE 22-9-1999

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Victoria Technical Institute, Chennai" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

(F.NO. 197/100/99-ITA-I)

NOTIFICATION NO. 11088

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत का राजपत्र के भाग 11 खण्ड 38111 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 22.9.99

अधिसूचना

आयकर

काठमांडू आयकर अधिनियम, 1961 का 43 की धारा 10 के उपखण्ड 23-ग के उपखण्ड 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड "विक्टोरिया टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, वेन्नई" को कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अधिसूचित कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है :

1. कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्वकी वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निर्धिजेवर-जवाहिरात, पर्नीवर आदि के रूप में प्राप्त तथा रस-रभाव में स्वैच्छिक आदान से भिन्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा :

2. यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों के लिए प्राप्त के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से सेवा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हो ।

समर मद्र

अवर सचिव, भारत सरकार

197/100/99-आयकर नि-1

अधिसूचना सं० 11(388) का० सं० 197/100/99-आयकर नि-1

सेवा

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र